रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1715] नई दिल्ली, सोमवार, मई 14, 2018/वैशाख 24, 1940
No. 1715] NEW DELHI, MONDAY, MAY 14, 2018/VAISAKHA 24, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2018

का.आ. 1902(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 3345 (अ) तारीख 12 अक्टूबर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां प्रारूप अधिसूचना को सम्मिलित करते हुए जनता को तारीख 16 अक्टूबर, 2017 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

और, खेवनी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के देवास और सीहोर जिलों में स्थित है और 134.778 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, उक्त वन्यजीव अभयारण्य देवास और सेहोरे वन भू-दृश्य के वनस्पति और जीवजंतु के गुणों का प्रतिनिधित्व करता है और यह शुष्क पर्णपाती वन है, जिसमें मुख्य रूप से *टेक्टोना ग्रांडिस, अनोगेइस्सूस लतीफोलिया और ट्ररमिनालिया अलाटा* समुदाय और उनसे संबंधित वनस्पति शामिल है;

और, उक्त अभयारण्य में जैव विविधता प्रचुर है, अभयारण्य में 69 वृक्ष प्रजातियों, 23 जड़ी बूटी और 12 झाड़ियों की प्रजातियां और पर्वतारोही परजीवी, घास और बांस भी पाए जाते है; खेवनी वन्यजीव अभयारण्य में 24

स्तनधारियों, 21 पक्षियों, 5 सरीसृप अभिलिखित है। जिसमें क्षेत्र के सभी सामान्य पशु जैसे मांसाहारी में तेंदुआ *(पेन्थेरा प्रज्घूस),* भेडिया *(कैनिस लुपुस),* सियार (*कैनिस ऑरियस),* भारतीय लोमड़ी *(वुल्प्स बेंगलेंसिस)*, लकड़बग्घा *(हाइना हाइना)* और शाकाहारी में नीलगाय *(बोसेलाफुस ट्रागोकमेलुस)*, चिंकारा *(गजेल्ला गजेल्ला बेंनेटी),* बनैला सूअर *(सस स्क्रोफ़ा),* मुंजक *(मुनटीक्स मुनतजक),* आदि वास करते है;

और, खेवनी वन्यजीव अभयारण्य वनस्पति और जीवजंतु और जैव-विविधता में प्रचुर है, उक्त अभयारण्य गलियारे का महत्त्वपूर्ण भाग है जो सतपुड़ा बाघ रिजर्व से मेलघाट बाघ रिजर्व तक वन्यजीव के संचलन में सहायता करता है।

और, अभयारण्य में चैम्पियन और सेठ वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती सागौन वन है और अभयारण्य में वृक्ष पाए जाते हैं जिसमें *टेक्टोना ग्रांडिस, पटेरोकारपुस मासुपिउम, मिनालिया, टर्मिनलिया अलाटा, अनोगेइस्सूस लतिफोलिया, अकैशिया कटैचु,* आदि शामिल है;

और, खेवनी वन्यजीव अभयारण्य की महत्त्वपूर्ण जीवजंतु प्रजातियों में भेडिया, भारतीय लोमड़ी, चित्तीदार लकड़बग्घा, चित्तीदार हिरण, सांभर हिरण, चिंकारा, जंगली सूअर,चौउसिंघा शामिल है;

और, खेवनी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण और पारिस्थितिकी की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों और उद्योगों के वर्गो और उनके प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश राज्य में खेवनी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 2 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को खेवनी वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार खेवनी वन्यजीव अभयारण्य की परिधि से 2 किलोमीटर तक है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 160 वर्ग किलोमीटर है, और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र और सीमा विवरण क्रमश: **उपाबंध** I और **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है;

(2) खेवनी वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के देशान्तर और अक्षांश **उपाबंध III** के रुप में उपाबद्ध है;

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची और उनके निर्देशांक **उपाबंध-IV** के रुप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करके आंचलिक महायोजना तैयार करेगी राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना, राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पर्यावरणीय और पारिस्थितिक बातों को समाकलित करने के लिए राज्य के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;
(ii) वन और वन्यजीव;
(iii) कृषि और बागवानी;
(iv) राजस्व;
(v) नगर विकास;
(vi) पर्यटन सहित पर्यावरण पर्यटन;
(vii) ग्रामीण विकास;
(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
(ix) नगर और शहरी विकास;
(x) पंचायती राज;
(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में और आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचना और अधिक प्रभावी और पारिस्थितिक अनुकूल क्रियाकलाप कारक इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी और इस योजना के मानचित्र के साथ विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं का विवरण संलग्न होगा ।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी के पैरा 4 में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का पालन करेगी जिससे पारिस्थितिक अनुकूल विकास स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन सुरक्षा के लिए सुनिश्चित और प्रोत्साहित किया जा सके ।

(8) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के अनुसार में अपने कृत्यों का पालन करने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

IndiaCode

(1) **भू-उपयोग** –पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाओं सहायक पारिस्थितिक पर्यटन में सम्मिलित ग्रह वास; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप और पैरा 4 के अंतर्गत दिया गया है:

परंतु यह और भी कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और अन्य नियमों और विनियमों के अंतर्गत राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और प्रयासों आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत-** आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/जलसरणी की पहचान की जाएगी और उसमें उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी ।

(3) **पर्यटन**– (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार आंचलिक महायोजना के लिए होगा ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी ।

(घ) पारिस्थितिक पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) खेवनी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। परंतु, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और सैरगाहों का स्थापन केवल पूर्व परिनिश्चित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उनके संरक्षण की योजना तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण --** पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को कार्यान्वित करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक

पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन:-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन: -** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण**:- लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए किए गए प्रयास उदाहरण के लिए सीएनजी, आदि हैं ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में दिये गये वर्गीकरण के अनुसार फरवरी, 2016 के भीतर सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के अधीन बनाये गये नियम और अन्य लागू विधियां जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	**क्रियाकलाप**	**टीका-टिप्पणी**
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
2.	उद्योगों की स्थापना जिसके अंतर्गत (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) प्रदुषण कारित करने वाले नए तेल और गैस खोज उद्योगो भी है।	(क) कोई नया उद्योग या पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों को स्थापना के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा, जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो।
3.	बृहत तापीय और बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।

4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र सतही में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
9.	पोलिथीन बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
10.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलापों संबंधी लघु अस्थायी संरचनाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और विश्राम स्थलों को अनुज्ञात किया जाएगा अन्यथा नहीं । परंतु, पारिस्थितिक संवेदी जोन आगे या उसके विस्तार तक, जो भी निकट हो के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर से सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
11.	फर्मों, कंपनियों आदि द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
12.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के

		अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी :- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण करना; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योगों की स्थापना ; (iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योगों, सुविधा भण्डारों और ग्रह-वास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाओं की व्यवस्था; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप । (ख) गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ग) एक किलोमीटर क्षेत्र से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
13.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकट में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिक संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
14.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कोई कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी ।
15.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी) ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
16.	विद्युत और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । भूमिगत केबल बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा।

	और अन्य बुनियादी ढांचे ।	
17.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना ।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे।
19.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
20.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
21.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
22.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि और मछली पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्रावों अपशिष्ट जल एवं का निस्सारण ।	जल निकायों में प्रवेश करने के लिए अपशिष्ट जल/ बहिस्राव उपचारित उत्सर्जन रोकेगा। पुन:चक्रण और अपशिष्ट जल उपचारित पुन: उपयोग के लिए प्रयास किए जाएगे अन्यथा अपशिष्ट जल/ बहिस्राव उत्सर्जन लागू विधि के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
24.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
26.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन/ जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	पारिस्थितिक पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
29.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंगें ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
ग.संवर्धित क्रियाकलाप		
30.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

IndiaCode

32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और ईंधन का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय रुप से बढ़ावा दिया जाना है ।
35.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	पारिस्थितिक अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	निम्नीकृत भूमि या वन या का जीर्णोद्धार ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. **मानीटरी समिति.-** (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन की प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क)	विभागीय आयुक्त उज्जैन	अध्यक्ष;
(ख)	जिला कलेक्टर देवास	सदस्य;
(ग)	विभागीय वन अधिकारी देवास	सदस्य;
(घ)	मुख्य नगर अधिकारी नगरपालिका देवास	सदस्य;
(ङ)	अधीक्षक अभियंता लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी/जल संसाधन विभाग/लोक निर्माण विभाग/मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड, देवास	सदस्य;
(च)	पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे गैर-सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि (विरासत संरक्षण सहित) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तीन साल की अवधि के लिए नामांकित किया जाएगा	सदस्य;
(छ)	जिला पंचायत देवास जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य;
(ज)	पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तीन साल की अवधि के लिए मनोनीत किया जाएगा	सदस्य;
(झ)	टाउन और कंट्री प्लानिंग बोर्ड के प्रतिनिधि	सदस्य;
(ञ)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि	सदस्य;
(ट)	खेवनी वन्यजीव अभयारण्य के अधीक्षक	सदस्य;
(ठ)	राज्य सरकार द्वारा नामित जैव विविधता में विशेषज्ञ	सदस्य;
(ड)	वन उज्जैन के मुख्य संरक्षक	सदस्य-सचिव ।

6. निर्देश निबंधन

(1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

IndiaCode

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा-विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संबंधित उद्यान उप वन संरक्षक ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) निगरानी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपने क्रियाकलापों की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध V** में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. **अतिरिक्त उपाय:** इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. सुप्रीम कोर्ट, आदि के आदेश.- इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

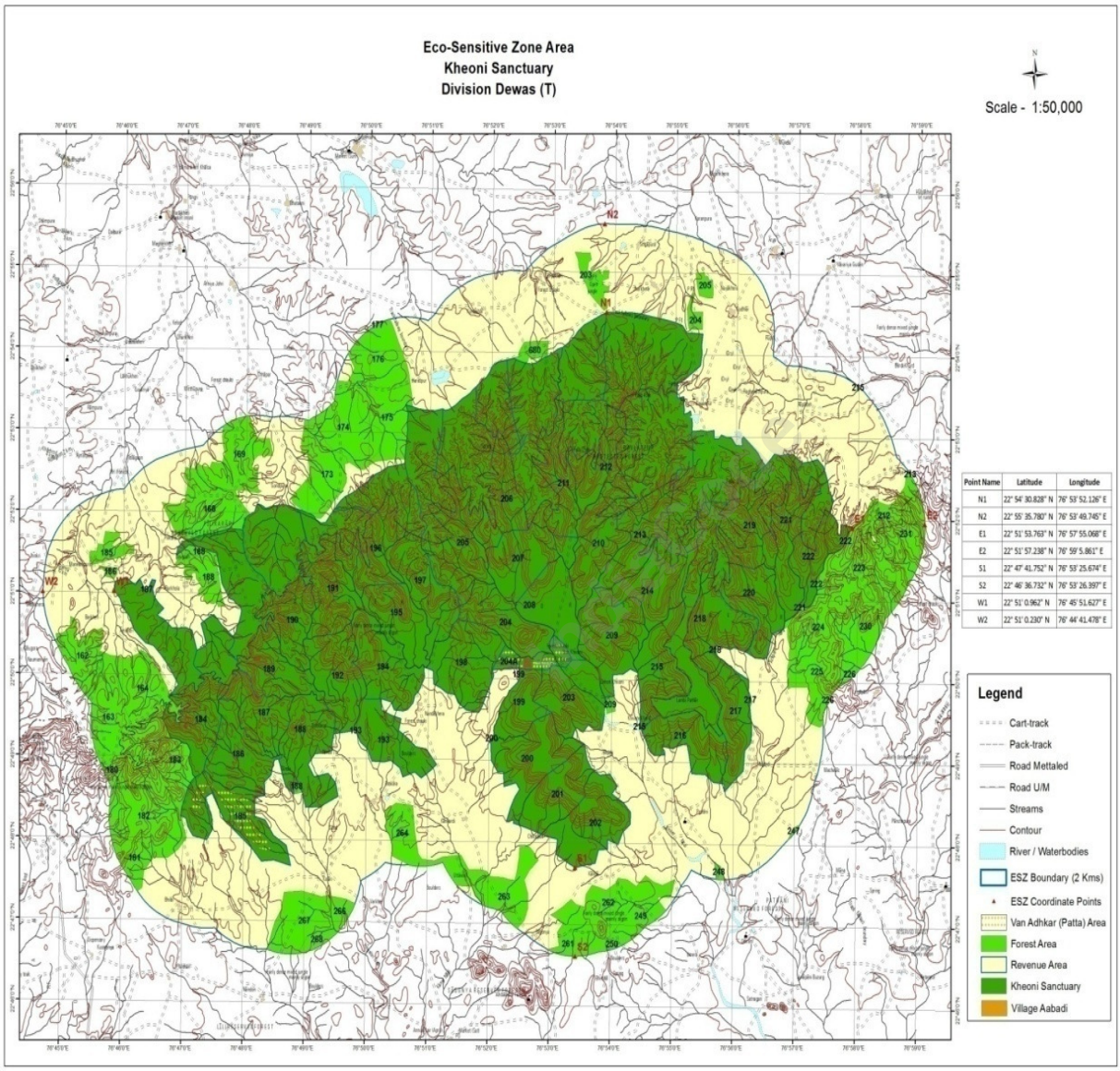
[फा.सं. 25/80/2015-ईएसजेड-आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

IndiaCode

उपाबंध- I

पारिस्थितिकी संवेदी जोन में खेवनी वन्यजीव अभयारण्य का मानचित्र



उपाबंध- II

पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमा वर्णन

उत्तर: सीहोर वन प्रभाग की दक्षिणी सीमा ।

पूर्व: देवास वन प्रभाग के कन्नौर श्रेणी की उत्तर- पूर्व सीमाएं।

दक्षिण: कम्पार्ट. सं 184 से 222 की उत्तरी सीमाएं

पश्चिम: देवास प्रभाग के कन्नौर श्रेणी की कम्पार्ट सं. 184 से 186 और सीहोर प्रभाग के अशता श्रेणी की कम्पार्ट सं 165 ।

इस अभयारण्य में विद्यमान और पुनर्स्थापन की प्रक्रिया के अधीन केवल एक वन ग्राम है जो खेवनी बूजूर्ग नामक है।

IndiaCode

उपाबंध- III

खेवनी वन्यजीव अभयारण्य के चारों कोंनों के अक्षांश और देशांतर अभयारण्य का कोर क्षेत्र

दिशा	अक्षांश	देशांतर
उत्तर	22⁰ 54’27.05”	76⁰ 53’45.9”
पूर्व	22⁰ 52’12.1”	76⁰ 58’19.4”
दक्षिण	22⁰ 47’38.9”	76⁰ 48’45.9”
पश्चिम	22⁰ 51’21.08”	76⁰ 45’31.7”

पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र

दिशा	अक्षांश	देशांतर
उत्तर	22⁰ 55’34.4”	76⁰ 53’45.9”
पूर्व	22⁰ 52’12.1”	76⁰ 59’30”
दक्षिण	22⁰ 46’35.6”	76⁰ 48’49.9”
पश्चिम	22⁰ 51’21.08”	76⁰ 44’21.1”

उपाबंध- IV

पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्रामों के नाम

क्र.स.	ग्राम का नाम	जिला	अक्षांश	देशांतर
1	भीलाई	देवास	22⁰48'00.11''	76 ⁰47'18.20''
2	कोलारी	देवास	22⁰48'16.33''	76 ⁰48'29.75''
3	साताल	देवास	22⁰49'25.83''	76 ⁰48'33.06''
4	ओमकारी	देवास	22⁰48'49.56''	76 ⁰49'54.72''
5	काकारदी	देवास	22⁰48'06.58''	76 ⁰51'48.73''
6	नंदादाई	देवास	22⁰50'33.40''	76 ⁰51'11.96''
7	उतवाली	देवास	22⁰47'47.80''	76 ⁰51'11.80''
8	चीकालपट	देवास	22⁰48'28.27''	76 ⁰52'28.19''
9	सागोंया	देवास	22⁰46'57.37''	76 ⁰52'42.38''
10	कालिबाई	देवास	22⁰47'05.68''	76 ⁰55'11.64''
11	रिची	देवास	22⁰48'30.44''	76 ⁰55'08.22''
12	खेवनी खुर्द	देवास	22⁰50'05.46''	76 ⁰54'34.70''
13	पात्रानी	देवास	22⁰48'22.42''	76 ⁰54'57.11''
14	नीवारदी	देवास	22⁰48'39.17''	76 ⁰56'10.21''
15	मचवास	देवास	22⁰50'48.72''	76 ⁰56'50.65''
16	गदीया	सेहोरा	22⁰52'19.86''	76 ⁰58'14.59''
17	रूपादरह	सेहोरा	22⁰52'47.43''	76 ⁰57'23.26''
18	दाउलाटपुर	सेहोरा	22⁰53'27.39''	76 ⁰54'47.16''
19	रूघाटपुरा	सेहोरा	22⁰53'01.21''	76 ⁰56'01.07''
20	रूपदी	सेहोरा	22⁰53'47.33''	76 ⁰56'42.37''
21	दुधालाई	सेहोरा	22⁰54'24.76''	76 ⁰55'38.70''
22	नयाखेडा	सेहोरा	22⁰54'35.03''	76 ⁰55'02.57''
23	जरखेडा	सेहोरा	22⁰54'40.29''	76 ⁰54'36.93''
24	सिंगापुरा	सेहोरा	22⁰55'18.99''	76 ⁰53'55.06''
25	लाल्याखेदी	सेहोरा	22⁰54'55.76''	76 ⁰52'26.37''
26	खुंदीखाई	सेहोरा	22⁰53'45.83''	76 ⁰52'11.68''
27	हरासपुर	सेहोरा	22⁰53'10.07''	76 ⁰51'19.52''
28	गोंदपुरा	सेहोरा	22⁰51'42.31''	76 ⁰48'41.97''
29	पैली कारद	सेहोरा	22⁰51'04.83''	76 ⁰48'17.81''

IndiaCode

30	देवगड	सेहोरा	22°51'15.63''	76 °47'20.64''
31	जस्सुपुरा	सेहोरा	22°51'10.04''	76 °46'18.23''
32	बादखोला	सेहोरा	22°50'26.52''	76 °47'05.16''
33	रोलागांव	सेहोरा	22°52'13.39''	76 °46'18.39''
34	अलामपुरा	सेहोरा	22°50'27.73''	76 °45'03.14''
35	मनीपुरा	सेहोरा	22°51'10.62''	76 °45'20.94''
36	बारखेरी	सेहोरा	22°50'03.23''	76 °45'36.62''
37	अम्खेडी	सेहोरा	22°49'37.07''	76 °46'15.60''
38	छापर	सेहोरा	22°53'34.30''	76 °47'51.02''
39	मित्तुपुरा	सेहोरा	22°52'24.09''	76 °47'34.94''
40	झीकारी	सेहोरा	22°49'59.75''	76 °44'55.06''

IndiaCode

उपाबंध V

पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 11 May, 2018

S.O. 1902(E).— WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O.3345 (E), dated the 12th October, 2017, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the draft notification were made available to the public on the 16th October, 2017;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from the persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, the Kheoni Wildife Sanctuary is located in Dewas and Sehore Districts of Madhya Pradesh and is spread over in an area of 134.778 square kilometres, the said Wildlife Sanctuary almost represents the floral and faunal attributes of the Dewas and Sehore Forested landscape and it is a dry deciduous forest, consisting mainly of Tectona grandis, Anogeissus latifolia and Terminalia alata communities and their associated flora;

AND WHEREAS, the aforesaid Sanctuary is rich in bio-diversity, 69 tree species, 23 herbs and 12 shrubs species and climbers parasites, grasses and bamboo are also found in the said Sanctuary; 24 mammals, 21 birds, 5 reptiles species have been recorded in Kheoni Wildlife Sanctuary which is inhabited by all the usual animals of the region, such as leopard (Panthera pardus), Wolf (Canis lupus), Jackal (canis aureus), Indian fox (Vulpes bengalensis), striped hyena (Hyaena hyaena) among carnivores and Nilgai (Boselaphus tragocamelus), Chinkara (Gazella gazella bennetti), wild pig (Sus scrofa), barking deer (Muntiacus muntjac), etc. amongst herbivores;

AND WHEREAS, the Kheoni Wildlife Sanctuary is extremely rich in flora and fauna and in biodiversity, the said Sanctuary is the important part of corridor which helps in movement of wildlife from Satpura Tiger Reserve to Melghat Tiger Reserve and movement of wildlife from eastern Madhya Pradesh to western Madhya Pradesh;

AND WHEREAS, the aforesaid Sanctuary has southern tropical dry deciduous teak forest as per Champion and Seth Classification and the trees found in the sanctuary include *Tectona grandis*, *Pterocarpus marsupium*, *Terminalia allata*, *Anogeissus latifolia*, *Acacia catechu,* etc.;

AND WHEREAS, the important faunal species of the Kheoni Wildlife Sanctuary include Wolf, Indian Fox, Striped hyena, Spotted Deer, Sambar deer, Chinkara, Wild pig, Chowsingha;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification, around the protected area of Kheoni Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent up to two kilometers from the periphery of the Kheoni Wildlife Sanctuary in the State of Madhya Pradesh as the Kheoni

Wlidlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone), details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone - (1) The extent of Eco-sensitive Zone is up to two kilometres from the periphery of the Kheoni Wildlife Sanctuary and the area of Eco sensitive Zone is 160 square kilometres, and the map and boundary description of the Eco-sensitive Zone are appended as **Annexure-I and Annexure II respectively.**

(2) The longitude and latitude of the Kheoni Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are appended as **Annexure-III**;

(3) The list of villages and their co-ordinates falling under the Eco-sensitive Zone is annexed as **Annexure-IV**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone – (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said Plan:-

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture and Horticulture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism including eco-tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal and Urban Development;

(x) Panchayati Raj;

(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

IndiaCode

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and the plan shall be supported by maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government -The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Landuse.- Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential complex or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for the activity such as -

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) small scale industries not causing pollution;
(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
(v) promoted activities and given under para 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

IndiaCode

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat and biodiversity restoration activities.

(2) Natural water bodies. - The catchment areas of all natural springs, rivers or channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) Tourism. - (a) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) no new construction of hotels and resorts shall be allowed within one kilometer from the boundary of the Kheoni Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer; Provided that beyond the distance of one kilometer from the boundary of the said Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per the Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) Till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) Natural Heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation within six months from the date of publication of this notification in the Official Gazette and such Plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification in the Official Gazette and such Plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution: Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986, as amended from time to time.

IndiaCode

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder, as amended from time to time.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)and the rules made thereunder.

(9) Solid wastes.- Disposal and management of solid wastes shall be as under:

(a) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016, as amended from time to time;

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste.- Bio-medical waste management shall be as under - (a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

IndiaCode

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e- waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- The prevention and control of vehicular pollution shall be complied with in accordance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuel for example CNG, etc.

(16) Industrial units: (a) No new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(b) Only non-polluting industries shall be permitted within Eco-sensitive Zone as per classification of industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless otherwise specified in this notification.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) no construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.-

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

IndiaCode

TABLE

S. No.	Activity	Remarks
(1)	**(2)**	**(3)**
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stonequarrying and crushing units.	(a) All new (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 04th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P. (C) No.202 of 1995 and dated 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P. (C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries including new oil and gas exploration causing pollution (water, air, soil, noise, etc.)	(a) No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted. (b) Only non-polluting industries shall be permitted within Eco-sensitive Zone as per classification of industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless otherwise specified in this notification.
3.	Establishment of major thermal and major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Commercial use of fire wood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Use of plastic bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	B. Regulated Activities	
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, companies, etc.	Regulated under applicable laws.
12.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents. (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by the Central Pollution Control Board of February 2016;

		(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (v) promoted activities listed in this Notification: (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
13.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent authority.
14.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder.
15.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws underground cabling may be promoted.
17.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable laws.
20.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.

IndiaCode

21.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
22.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
23.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water, and the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
24.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
25.	Open well, bore well etc. for agriculture or other usage.	Regulated under applicable laws and the activity shall be strictly monitored by the concerned authority.
26.	Solid waste management /bio-medical waste management.	Regulated under applicable laws.
27.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
28.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
29.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activities		
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light, etc. to be actively promoted.
35.	Agro-forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
37.	Skill development.	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
39.	Environmental awareness	Shall be actively promoted.

IndiaCode

5. Monitoring Committee.- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of, the following namely:-

(a)	Divisional Commissioner Ujjain	-Chairman;
(b)	District Collector Dewas	-Member;
(c)	Divisional Forest Officer Dewas	-Member;
(d)	Chief Municipal Officer Nagarpalika Dewas	-Member;
(e)	Superintendent Engineer Public Health Engineering/Water Resources Department/Public Work Department/Madhya Pradesh Electricity Board, Dewas	-Member;
(f)	One representative of Non-Governmental Organisations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Madhya Pradesh for a period of three years	-Member;
(g)	Chief Executive Officer of Zilla Panchayat Dewas District	-Member;
(h)	An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Madhya Pradesh for a period of three years	-Member;
(i)	Representative of the Town and Country Planning Board	-Member;
(j)	Representative of the State Pollution Control Board	-Member;
(k)	Superintendent of Kheoni Wildlife Sanctuary	-Member;
(l)	Expert in Biodiversity nominated by the State Government	-Member;
(m)	Chief Conservator of Forest Ujjain	-Member Secretary.

6. Terms of reference.- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring Committee shall be three years or till the constitution of the new Committee by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 but are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be

IndiaCode

scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned work in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per performa appended at **Annexure V**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures. - The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Orders of Supreme Court, etc.- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or National Green Tribunal.

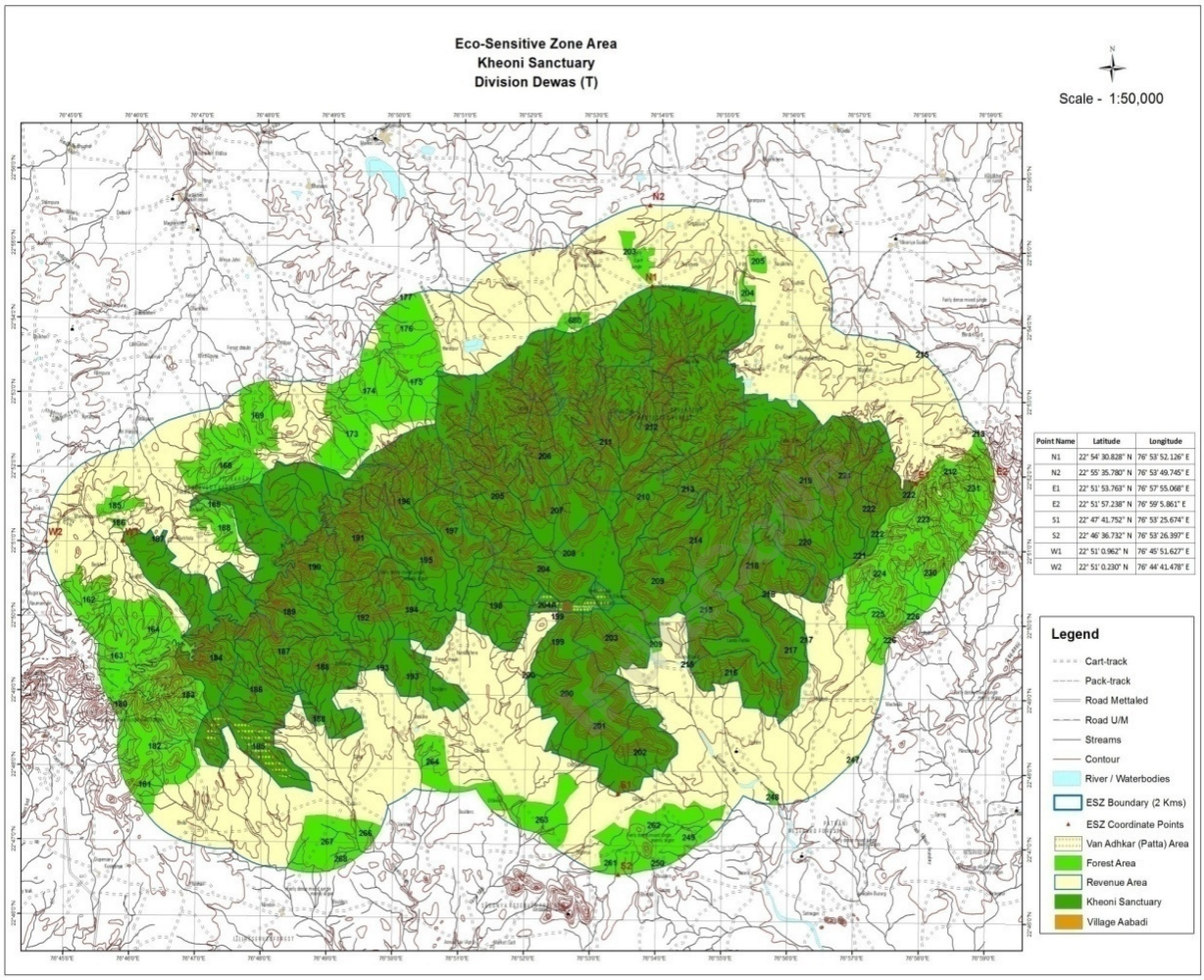
[F. No. 25/80/2015-ESZ-RE]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

IndiaCode

ANNEXURE- I

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KHEONI WILDLIFE SANCTUARY



Annexure-II

Boundary description of Eco-Sensitive Zone

North : Southern boundary of Sehore Forest Division

East : North-East boundaries of Kannod Range of Dewas Forest Division

South : Northern boundaries of Compt. No. 184 to 222

West: Compt. No. 184 to 186 of Kannod Range of Dewas Division and Compt. No. 165 of Ashta Range of Sehore Division.

There is only one forest village named as Kheoni bujurg existing in this Sanctuary and under prosess of relocation.

ANNEXURE- III

Longitude and Latitude of four corners of Kheoni Wildlife Sanctuary
Core area of Sanctuary

Direction	Latitude	Longitude
North	22^0 54'27.05"	76^0 53'45.9"
East	22^0 52'12.1"	76^0 58'19.4"
South	22^0 47'38.9"	76^0 48'45.9"
West	22^0 51'21.08"	76^0 45'31.7"

Eco-sensitive Zone area

Direction	Latitude	Longitude
North	22^0 55'34.4"	76^0 53'45.9"
East	22^0 52'12.1"	76^0 59'30"
South	22^0 46'35.6"	76^0 48'49.9"
West	22^0 51'21.08"	76^0 44'21.1"

ANNEXURE- IV

Detail of Villages within the Eco-sensitive Zone

No.	Name of village	District	Lat	Long
1	Bhilai	Dewas	$22^0$48'00.11''	76 ^{0}47'18.20''
2	Kolari	Dewas	$22^0$48'16.33''	76 ^{0}48'29.75''
3	Satal	Dewas	$22^0$49'25.83''	76 ^{0}48'33.06''
4	Omkara	Dewas	$22^0$48'49.56''	76 ^{0}49'54.72''
5	Kakardi	Dewas	$22^0$48'06.58''	76 ^{0}51'48.73''
6	Nandadai	Dewas	$22^0$50'33.40''	76 ^{0}51'11.96''
7	Utawali	Dewas	$22^0$47'47.80''	76 ^{0}51'11.80''
8	Chikalpat	Dewas	$22^0$48'28.27''	76 ^{0}52'28.19''
9	Sagonya	Dewas	$22^0$46'57.37''	76 ^{0}52'42.38''
10	Kalibai	Dewas	$22^0$47'05.68''	76 ^{0}55'11.64''
11	Richi	Dewas	$22^0$48'30.44''	76 ^{0}55'08.22''
12	Kheoni khurd	Dewas	$22^0$50'05.46''	76 ^{0}54'34.70''
13	Patrani	Dewas	$22^0$48'22.42''	76 ^{0}54'57.11''
14	Nivardi	Dewas	$22^0$48'39.17''	76 ^{0}56'10.21''
15	Machwas	Dewas	$22^0$50'48.72''	76 ^{0}56'50.65''
16	Gadia	Sehore	$22^0$52'19.86''	76 ^{0}58'14.59''
17	Rupadarh	Sehore	$22^0$52'47.43''	76 ^{0}57'23.26''
18	Daulatpur	Sehore	$22^0$53'27.39''	76 ^{0}54'47.16''
19	Rugnathpura	Sehore	$22^0$53'01.21''	76 ^{0}56'01.07''
20	Rupdi	Sehore	$22^0$53'47.33''	76 ^{0}56'42.37''
21	Dudhlai	Sehore	$22^0$54'24.76''	76 ^{0}55'38.70''

IndiaCode

22	Nayakheda	Sehore	22^{0}54’35.03’’	76 ^{0}55’02.57’’
23	Jarkheda	Sehore	22^{0}54’40.29’’	76 ^{0}54’36.93’’
24	Singapura	Sehore	22^{0}55’18.99’’	76 ^{0}53’55.06’’
25	Lalyakhedi	Sehore	22^{0}54’55.76’’	76 ^{0}52’26.37’’
26	Kundikhal	Sehore	22^{0}53’45.83’’	76 ^{0}52’11.68’’
27	Haraspur	Sehore	22^{0}53’10.07’’	76 ^{0}51’19.52’’
28	Gondpura	Sehore	22^{0}51’42.31’’	76 ^{0}48’41.97’’
29	Peeli karad	Sehore	22^{0}51’04.83’’	76 ^{0}48’17.81’’
30	Devgarh	Sehore	22^{0}51’15.63’’	76 ^{0}47’20.64’’
31	Jassupura	Sehore	22^{0}51’10.04’’	76 ^{0}46’18.23’’
32	Badkola	Sehore	22^{0}50’26.52’’	76 ^{0}47’05.16’’
33	Rolagaon	Sehore	22^{0}52’13.39’’	76 ^{0}46’18.39’’
34	Alampura	Sehore	22^{0}50’27.73’’	76 ^{0}45’03.14’’
35	Manipura	Sehore	22^{0}51’10.62’’	76 ^{0}45’20.94’’
36	Barkheri	Sehore	22^{0}50’03.23’’	76 ^{0}45’36.62’’
37	Amkhedi	Sehore	22^{0}49’37.07’’	76 ^{0}46’15.60’’
38	Chhapar	Sehore	22^{0}53’34.30’’	76 ^{0}47’51.02’’
39	Mittupura	Sehore	22^{0}52’24.09’’	76 ^{0}47’34.94’’
40	Jhikari	Sehore	22^{0}49’59.75’’	76 ^{0}44’55.06’’

IndiaCode

ANNEXURE-V

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise); [Details may be attached as Annexure].
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006; [Details may be attached as separate Annexure].
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006;[Details may be attached as separate Annexure].
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.05.15 15:51:39 +05'30'